अंचल अधिकारी ....करी.... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-- 61/2017-18

वाद का प्रकार-- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

09.01.2021

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक--2074/रा0, दिनांक--13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन--सह--विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या--3--खा0म0निति--119/85/2308/रा0, दिनांक--03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या--914/रा0, दिनांक--09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :--

मौजा-.....मुटपा..... थाना-......176....... खाता संख्या--.....53/83, प्लॉट संख्या-- ......--...... रकबा ......0.66, एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी--II के जिल्द संख्या-......01.......,के पृष्ठ संख्या--.......83......, पर जमाबंदी रैयत ....शंकर स्वांसी S/o बहुरन स्वांसी.... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जागबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण--पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक...27/01/2020... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New Awaidh Jamabandi.docx

आदेश का कमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
17.02.2021	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत उपस्थित/अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत शंकर स्वाँसी पिता बहुरन स्वाँसी के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा मुटपा थाना नं0 176 के सर्वे खतियान में खाता सं0 53 गैरमजुरूआ खास किस्म—— दर्ज है। राजस्व मांग पंजी ii में भाग I पृष्ट सं0 83 खाता 53 प्लॉट सं0 —— —— रकबा 0.66 एकड़ भूमि शंकर स्वाँसी पिता बहुरन स्वाँसी के नाम से बिना प्राधिकार का दर्ज पाया। पंजी II में पहला लगान वसूली वर्ष 1973-74 से दर्ज है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बंदोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल कब्जा नहीं है। अवैध जमाबंदीदार अनुसूचित जाति जाति के श्रेणी में आते हैं। भूमि का वर्तमान स्वरूप ....है। अवैध जमाबंदीदार सैनिक/अर्द्धसैनिक बल के/वीरगति/शहीद के उत्तराधिकारी, पूर्वी पाकिस्तान एवं वर्मा से आये हुए शरणार्थी सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार, भूमिहीन दिव्यांग नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि, शासकीय परिसर/संस्थान/राजपथ/उच्चपथ/मुख्यपथ से दूरी पर है। उक्त चिन्हित जमाबंदी में प्लॉट की विवरणी दर्ज नहीं है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा मुटपा थाना नं0 176 खाता 53 प्लॉट सं0 —— रकबा 0.66 एकड भूमि को अवैध/अनियमित जमाबंदी त्रुटिपूर्ण रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई तत्काल स्थगित की जाती है। लेखापित संशोधित। (हस्ताक्षर) 17/02/21 अंचल अधिकारी कर्रा। (हस्ताक्षर) 17/02/21 अंचल अधिकारी कर्रा।	